तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./5961/2005/चितौडगढ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाम कजोड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकलपीठ **श्री सुनील कुमार शर्मा, सदस्य** **<u>उपस्थित</u>** श्री शोकिन्द लाल गुर्जर, उपराजकीय अधिवक्ता, अपीलार्थीगण श्री रामरघुनाथ, अधिवक्ता, प्रत्यर्थी **<u>निर्णय</u>** दिनांक 14.01.2021 अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 30-09-2005 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि जिला कलक्टर ने अपने आदेश दिनांक 20-02-2004 से ग्राम सेती स्थित आरजी खसरा नम्बर 350/1977 रकबा 0.79 हैक्टयर भूमि राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत चारागाह से खारिज कर राजस्थान भू-राजस्व (स्कूल, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिकोपयोगी भवनों के निर्माणार्थ राजकीय भूमि का आवंटन नियम 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत 99 वर्ष की लीज पर जिला परिषद चितौडगढ को अधिकारियों/कर्मचारियों के राजकीय आवासीय भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटित की। इस आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30-09-2005 से स्वीकार कर जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-02-2004 को	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./5961/2005/चितौडगढ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाम कजोड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निरस्त कर दिया। इसी निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा यह अपील मण्डल के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी। योग्य उप राजकीय अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण को आवंटन नियम 1963 के प्रावधानों के तहत 99 वर्ष की लीज पर राजकीय आवासीय भवनों के निर्माण हेतु भूमि निशुल्क जिला कलक्टर द्वारा आवंटित की गयी तथा आवंटन उपरान्त आवंटित विवादित आराजी का कब्जा दिनांक 20-02-2004 को सुपुर्द कर दिया तथा आवंटन की पालना में अपीलार्थीगण के नाम नामान्तरकरण संख्या 995 दिनांक 18-04-2004 को स्वीकृत हो चुका है। उनका कथन है कि आवंटन के पश्चात् विवादित भूमि पर अपीलार्थीगण का कब्जा चला आ रहा है एवं मौके पर चारदीवारी बनी हुई है। उनका कथन है कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों की अनदेखी करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जो तथ्यात्मक एवं विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय को निरस्त किया जावे तथा जिला कलक्टर के आवंटन आदेश को यथावत रखा जावे। योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण के तथ्यों की पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई विधिक अथवा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./5961/2005/चितौडगढ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाम कजोड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तथ्यात्मक त्रुटि नहीं होने से पारित निर्णयों में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित नहीं है। उनका कथन है कि विवादित आराजी ग्राम सेंती की आबादी के बीच स्थित है तथा उनके पक्षकार को ग्राम पंचायत, सेती द्वारा विवादित आराजी में से 75गुणा 80 वर्ग गज का पटटा वर्ष 1957 में जारी किया तभी से उनके पक्षकार उक्त भू-खण्ड पर लगातार आबाद चला आ रहा है। उनका कथन है कि उक्त भू-खण्ड के रूपान्तरण हेतु सक्षम न्यायालय के समक्ष प्रकरण विचाराधीन है। उनका यह भी कथन है कि उक्त भू-खण्ड बाबत् अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) न्यायिक मजिस्टेट, चितौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 116/99 बउनवानी कजोड बना सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12-5-2003 से राज्य सरकार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। अतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जावे। हमने उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली एवं पारित निर्णयों का अवलोकन किया। सर्वप्रथम हम योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र अन्तर्गत आदेश 22 नियम 10-ए जाप्ता दीवानी दिनांक 28-02-2019 को निर्णीत करना उचित समझते है। प्रार्थना में वर्णित अनुसार प्रत्यर्थी कजोड का देहान्त हो गया है, जिसके विधिक वारिसान प्रार्थनापत्र में वर्णित अनुसार भवरलाल, भैरूलाल एवं किशनलाल है, जिनकी ओर से अधिवक्ता ने वकालतनामा भी प्रस्तुत कर दिया है, जिन्हें रिकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तद्नुसार प्रार्थनापत्र कायम मुकाम स्वीकार किया जाकर मृतक प्रत्यर्थी कजोड के वारिसान को रिकार्ड पर लिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावलियां एवं पारित निर्णयों	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./5961/2005/चितौडगढ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाम कजोड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जिला कलक्टर ने अपने आदेश दिनांक 20-02-2004 से ग्राम सेती स्थित आरजी खसरा नम्बर 350/1977 रकबा 0.79 हैक्टयर भूमि राजस्थान काश्तकारी नियम 1955 की धारा 7 के प्रावधानों के अन्तर्गत चारागाह से खारिज कर राजस्थान भू-राजस्व (स्कूल, कालेजों, चिकित्सालयों, धर्मशालाओं एवं अन्य सार्वजनिकोपयोगी भवनों के निर्माणार्थ राजकीय भूमि का आवंटन नियम 1963 के प्रावधानों के अन्तर्गत 99 वर्ष की लीज पर जिला परिषद चितौडगढ को अधिकारियों/कर्मचारियों के राजकीय आवासीय भवनों के निर्माण हेतु निःशुल्क आवंटित की। इस आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, चितौडगढ के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की, जिसे उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 30-09-2005 से स्वीकार कर जिला कलक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-02-2004 को निरस्त कर दिया। अधीनस्थ न्यायालयों की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य से प्रस्तुत प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि ग्राम सेंती स्थित आराजी खसरा नम्बर 350/1977 की भूमि में से ग्राम पंचायत सेंती द्वारा प्रत्यर्थी को पत्रावली संख्या 13/1956-57 से दिनांक 15मार्च, 1957 को 75गुणा80 वर्ग गज भूमि का पट्टा जारी किया गया। इसी प्रकार उक्त भू-खण्ड के रूपान्तरण बाबत् भी सक्षम न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है। साथ ही उक्त भू-खण्ड बाबत् अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (क.ख.) न्यायिक मजिस्टेट, चितौडगढ द्वारा प्रकरण संख्या 116/99 बउनवानी कजोड बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 12-5-2003 से राज्य सरकार को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी कजोड ग्राम पंचायत, सेती द्वारा जारी पट्टे के आधार	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./5961/2005/चितौडगढ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाम कजोड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पर विवादित आराजी के भू–खण्ड पर काबिज है तथा उक्त भू–खण्ड बाबत् सिविल न्यायालय से प्रत्यर्थी के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश भी पारित किया हुआ है। प्रकरण में निहित उक्त स्थिति के मद्देनजर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने जिला कलक्टर द्वारा सम्पूर्ण आवंटन आदेश को निरस्त कर विधिक त्रुटि कारित की है। उक्त के परिप्रेक्ष्य में अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। परिणामतः अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 30–09–2005 आंशिक रूप से निरस्त किया जाकर प्रत्यर्थी के पक्ष में ग्राम पंचायत सेंती द्वारा जारी पट्टे की पत्रावली संख्या 13/1956–57 में वर्णित भू–खण्ड 75गुणा 80वर्ग गज की हद तक जिला कलक्टर, चितौडगढ द्वारा पारित आवंटन आदेश 20–02–2004 एवं उसकी पालना में स्वीकृत नामान्तरकरण संख्या–995 दिनांक 18–04–2005 निरस्त किया जाता है। निर्णय प्रति के साथ नियमानुसार अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(सुनील कुमार शर्मा)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज अपील/एल.आर./5961/2005/चितौडगढ मुख्य कार्यकारी अधिकारी बनाम कजोड	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए